

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 जन्म पंजीकरण / एन0टी0 / 24

रीना पुत्री श्री रत्न चन्द, निवासी गांव खुखनियाडा, डा0 कन्दोर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत जन्म पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया रीना पुत्री श्री रत्न चन्द, निवासी गांव खुखनियाडा, डा0 कन्दोर, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा एक में प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत झुम्ब के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-12-1980 को हुआ था, जोकि ग्राम पंचायत झुम्ब के रजिस्टर में कहीं भी दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 16-12-1980 को ग्राम पंचायत झुम्ब के रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थिया के नाम व जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 18/NT/24

श्री Anirudh Uppal s/o Sh. Shakti Chand Uppal, r/o House No. 334, Brij Lal Road Gurdwara Road, K.B. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Anirudh Uppal s/o Sh. Shakti Chand Uppal, r/o House No. 334, Brij Lal Road Gurdwara Road, K.B. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी माता की मृत्यु दिनांक 07-02-2020 को हुई है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Sumitra Uppal w/o Sh. Shakti Chand Uppal की मृत्यु तिथि 07-02-2020 को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 20-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु 07-02-2020 को पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
